न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती मृदुला शेखावत आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 64/2025
जीसीएमएस सं. – 2025/94

–:: प्रार्थीगण ::–

1. गणपतसिंह पुत्र रामसिंह
2. उषाकंवर पत्नि घीसूसिंह
3. किरण कंवर पुत्री घीसूसिंह
4. जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र घीसूसिंह
5. मनोहरसिंह पुत्र घीसूसिंह
6. विजयसिंह पुत्र घीसूसिंह
7. संतोष कंवर पुत्री घीसूसिंह जातियान पुरोहित निवासी बाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
8. मांगीदेवी पत्नि भागीरथदास जाति साद निवासी बाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
9. दुर्गाराम पुत्र नैनाराम जाति नाई निवासी बाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज तारीख :– 06.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री अभिषेक कच्छावाह अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक : 17.06.2025

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि यह है कि ग्राम बाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी सं. एक की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 122 रकबा 0.1623 हैक्टयर किस्म बारानी आयी हुई है । ग्राम बाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण सं. एक से आठ की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरानम्बर 123 रकबा 0.05669 हैक्टयर किस्म बारानी आयी हुई हैं। ग्राम बाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण सं. दो से सात व नौ की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरानम्बर 121 रकबा 0.01700 हैक्टयर किस्म बारानी आयी हुई हैं। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण की अपनी उक्त वादग्रस्त आराजी के पूरब दिशा की तरफ सरकारी रास्ता है। प्रार्थीगण अपनी अपनी वादग्रस्त आराजी के पूरब तरफ दीवार निकालना चाहते है लेकिन माप एवं सीमांकन के बिना निर्माण नही करवा पा रहे है जिससे प्रार्थीगण के खेतो में रास्ता से होकर मवेशियान नुकसान पहुचां रहे है इसलिए प्रार्थीगण रास्ता की तरफ दीवार निकालने से पूर्व अपनी अपनी खातेदारी कब्जासुद वादग्रस्त भूगि का नाप चौक कर सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है जिसके लिए प्रार्थीगण अपने खर्चे पर पत्थर उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 121, 122, 123 का नाप चौक कर सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी का नाप चौक कर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवायी जाने का आदेश फरमावें जिससे

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी जमीन के अन्दर पूरब तरफ पक्की दिवार निकाल सके । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 122 रकबा 0.1623 हैक्टयर व खसरा नम्बर 123 रकबा 0.5669 हैक्टयर व खसरा नम्बर 121 रकबा 0.1700 हैक्टयर का नाप चौक करवाया जाकर सींमाकन कर पत्थरगढ़ी करवायी जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण के हक में अता फरमावें ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किय गयां । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख ग्राम बाड़ा खुर्द की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2081 अनुसार ग्राम बाड़ा खुर्द के खाता सं. 113 खसरा नम्बर 122 रकबा 0.1623 हैक्टयर बारानी, तथा खाता सं. 119, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.5669 हैक्टयर किस्म बारानी तथा खामा सं. 114 खसरा नम्बर 121 रकबा 0.1700 किस्म बारानी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारी भूमि रेकर्ड में दर्ज हैं। मौका स्थिति अनुसार उक्त तीनो खसरो के पूर्व दिशा व पश्चिम दिशा दोनो माठ (मेड़) पर गै.मु.रास्मा के खसरे स्थित है तथा उक्त दोनो रास्ते आदिनांक सुचारू रूप से आवागमन हो रहा हैं। उक्त तीनो खसरो का पूर्व में एक बार सीमांकन तथा एक बार पत्थरगढ़ी कार्यवाही कर पालना हो चुकी हैं। मौका रास्ता के दूसरी साइड के पड़ौसी खातेदारो को रास्ता के नाप के संबंध में मौका पर स्थित विवाद कि है इसलिए पत्थरगढ़ी दिनांक को पुलिस जाब्ता कि उपस्थिति जरूरी होगी । अतः ग्राम बाड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 121, 122, 123, कि टीम गठित द्वारा पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की अनुशंषा की जाती हैं।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओ को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 122, 121, 123 की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थीगण सुनी, प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी के खाता सं. 113 खसरा नम्बर 122 रकबा 0.1623 हैक्टयर बारानी, तथा खाता सं. 119, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.5669 हैक्टयर किस्म बारानी तथा खामा सं. 114 खसरा नम्बर 121 रकबा 0.1700 किस्म बारानी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि हैं। जिसका सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराने का पूर्ण अधिकारी हैं । अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम बाड़ा खुर्द के खाता सं. 113 खसरा नम्बर 122 रकबा 0.1623 हैक्टयर बारानी, तथा खाता सं. 119, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.5669 हैक्टयर किस्म बारानी तथा खामा सं. 114 खसरा नम्बर 121 रकबा 0.1700 किस्म बारानी भूमि की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही विदित रहे कि पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान किये जाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जावें कि वादग्रस्त आराजी के आसपास आने वाले राजकीय खसरो में किसी प्रकार की कमीपेशी नही की जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर